

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग  
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-4/अ0प्र0-01-15/2017

299

/पटना, दिनांक-21/12/21

1. श्री रवि कुमार, कनीय अभियंता (गृह जिला-पटना) जो विभागीय कार्यालय आदेश सं0-45 सहपठित ज्ञापांक-1426 दि0-30.09.2021 के द्वारा निलंबन से मुक्त होने के पश्चात् पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे, को अगले आदेश तक के लिए ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर में कनीय अभियंता के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री गोरखनाथ सिंह, कनीय अभियंता (गृह जिला-वैशाली) जो विभागीय कार्यालय आदेश सं0-55 सहपठित ज्ञापांक-1751 दि0-30.11.2021 के द्वारा निलंबन से मुक्त होने के पश्चात् पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे, को अगले आदेश तक के लिए कार्य प्रमंडल, महनार के रिक्त कार्य प्रशाखा, देसरी में पदस्थापित किया जाता है।

3. उक्त प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(अशोक कुमार मिश्रा)  
अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक :- 4/अ0प्र0-01-15/2017

7787

/पटना, दिनांक-21/12/21

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता-1, 2, 3 एवं 4, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महनार/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर एवं अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महनार/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर पूर्व स्थान से अद्यतन एल0पी0सी0 सहायक प्राप्त कर संबंधित कनीय अभियंता, का वेतनादि का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त उक्त कनीय अभियंता का सत्यापित अद्यतन सेवा पुस्त भी पूर्व के स्थान से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

2. उक्त कनीय अभियंता का वेतन प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर यह देख लिया जाय कि उनके नाम से कार्य मद में कोई अग्रिम लंबित है या नहीं। यदि ऐसा कोई राशि लंबित हो तो संबंधित कनीय अभियंता को आदेश दिया जाय कि पूर्व पदस्थापन स्थान से लिये गए अग्रिम का नियमानुकूल समायोजन कराकर समायोजन संबंधी प्रमाण पत्र नियंत्री पदाधिकारी को उपलब्ध कराये, यह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए बिना कार्य के लिए कोई अग्रिम नहीं दिया जाएगा।

अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:- 4/अ0प्र0-01-15/2017 7787 /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव एवं अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख 21/12/21

ज्ञापांक:- 4/अ0प्र0-01-15/2017 7787 /पटना, दिनांक- 21/12/21

प्रतिलिपि:-सम्बन्धित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबन्धित भविष्य निधि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख 21/12/21

ज्ञापांक:- 4/अ0प्र0-01-15/2017 7787 /पटना, दिनांक- 21/12/21

प्रतिलिपि:- उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रभारी पदाधिकारी (लेखा शाखा), ग्रामीण कार्य विभाग तथा प्रशाखा पदाधिकारी (निगरानी), प्रशाखा-2 एवं 3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख 21/12/21

ज्ञापांक:- 4/अ0प्र0-01-15/2017 7787 /पटना, दिनांक- 21/12/21

प्रतिलिपि:-संबन्धित निलबन से मुक्त कनीय अभियंता, अभियंता प्रमुख कोषागार, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि तीन दिनों के अन्दर नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देकर योगदान प्रतिवदेन से विभाग को अवगत कराये।

अभियंता प्रमुख 21/12/21

ज्ञापांक:- 4/अ0प्र0-01-15/2017 7787 /पटना, दिनांक- 21/12/21

प्रतिलिपि:- आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख 21/12/21